(9)

संख्या बी-3-426/दस-1985

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रकाश बैरिया,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र
न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयों के
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक : 8 फरवरी, 1985।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

जैसा कि आपको विदित है, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 11 के नियम 244 एच (2) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी, जो भवन निर्माण/मरम्मत/विस्तार के लिये अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, वह अपने आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करेगा कि अभी उसका अवशेष सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक है और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के 10 साल के अन्दर सेवानिवृत्ति होने का उसका कोई विचार नहीं है। उसी प्रकार से भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम लेने के लिये उक्त अवधि 5 साल निर्धारित है। भवन निर्माण अग्रिम के मामलों में अवशेष सेवाकाल 10 साल से कम तथा भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम के मामलों में अवशेष सेवाकाल 5 साल से कम होने की दशा में अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व उक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। विभिन्न विभागाध्यक्षों से उपरोक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, वित्त विभाग में उनके परीक्षण हेतु पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने के कारण सहमति प्रदान करने में कठिनाई होती है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उपरोक्त नियम के शिथिलीकरण के जो भी प्रस्ताव शासन के वित्त विभाग को संदर्भित किये जायं, उनमें निम्न सूचना अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय अन्यथा वांछित सम्पूर्ण सूचना के अभाव में ऐसे मामलों में वित्त विभाग द्वारा विचार करना सम्भव न हो सकेगा।

(1) सम्बन्धित कर्मचारी की जन्म-तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, अवशेष सेवाकाल तथा वर्तमान वेतन, वर्तमान वतन पर अनुमन्य भत्ते इंगित करते हुये उसका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया मूल प्रार्थना-पत्र संलग्नकों सहित भेजा जाय।

(2) (i) यह स्पष्ट किया जाय कि सम्बन्धित कर्मचारी को अग्रिम अन्यथा अनुमन्य है और प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत उसका मामला आता है।

(ii) प्रस्तावित अग्रिम से जो सम्पत्ति (भू-खण्ड/भवन) अर्जित होगी वह समस्त भारों से मुक्त है और अग्रिम की प्रतिभूति में उसे शासन के पक्ष में बन्धक रखने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

(iii) स्वीकृति हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-3-2468/दस-84-1-(11) 79-भवन, दिनांक 6 जून, 1984 के प्रस्तर-2 के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम की अनुमन्य धनराशि की वसूली हेतु कटौती की प्रस्तावित मासिक किस्तों का उल्लेख करते हुये यह स्पष्ट किया जाय कि--

(i) मासिक किस्तों की धनराशि कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता के अन्तर्गत है।

(ii) अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली उसके सेवानिवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित हो जायेगी।

(iii) कर्मचारी के वेतन से हो रही अन्य कटौतियों के साथ अग्रिम की वसूली हेतु निर्धारित की जाने वाली मासिक किस्तों की कटौती सम्भव होगी, और

(iv) समस्त कटौतियों के बाद मिलने वाले शुद्ध वेतन से उसे अपने जीवन यापन मेंसामान्यतया कोई कठिनाई न होगी।

2--उपरोक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित कर्मचारी को कितना आग्रम अनुमन्य है और कितना स्वीकृत करना प्रस्तावित है और अग्रिम की वसूली हेतु कटौती की मासिक किस्तों की धनराशि कितनी निर्धारित की जा रही है।

भवदीय,
प्रेम प्रकाश बैरिया,
उप सचिव।

(9)

संख्या बी-3-426/दस-1985

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रकाश बैरिया,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र
न्यायाधीश एवं प्रमुख कार्यालयों के
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक : 8 फरवरी, 1985।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

जैसा कि आपको विदित है, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय 11 के नियम 244 एच (2) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी, जो भवन निर्माण/मरम्मत/विस्तार के लिये अग्रिम हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, वह अपने आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करेगा कि अभी उसका अवशेष सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक है और प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के 10 साल के अन्दर सेवानिवृत्ति होने का उसका कोई विचार नहीं है। उसी प्रकार से भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम लेने के लिये उक्त अवधि 5 साल निर्धारित है। भवन निर्माण अग्रिम के मामलों में अवशेष सेवाकाल 10 साल से कम तथा भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम के मामलों में अवशेष सेवाकाल 5 साल से कम होने की दशा में अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व उक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। विभिन्न विभागाध्यक्षों से उपरोक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, वित्त विभाग में उनके परीक्षण हेतु पूर्ण सूचना उपलब्ध न होने के कारण सहमति प्रदान करने में कठिनाई होती है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उपरोक्त नियम के शिथिलीकरण के जो भी प्रस्ताव शासन के वित्त विभाग को संदर्भित किये जायं, उनमें निम्न सूचना अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय अन्यथा वांछित सम्पूर्ण सूचना के अभाव में ऐसे मामलों में वित्त विभाग द्वारा विचार करना सम्भव न हो सकेगा।

(1) सम्बन्धित कर्मचारी की जन्म-तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, अवशेष सेवाकाल तथा वर्तमान वेतन, वर्तमान वतन पर अनुमन्य भत्ते इंगित करते हुये उसका निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया मूल प्रार्थना-पत्र संलग्नकों सहित भेजा जाय।

(2) (i) यह स्पष्ट किया जाय कि सम्बन्धित कर्मचारी को अग्रिम अन्यथा अनुमन्य है और प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत उसका मामला आता है।

(ii) प्रस्तावित अग्रिम से जो सम्पत्ति (भू-खण्ड/भवन) अर्जित होगी वह समस्त भारों से मुक्त है और अग्रिम की प्रतिभूति में उसे शासन के पक्ष में बन्धक रखने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

(iii) स्वीकृति हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-3-2468/दस-84-1-(11)79-भवन, दिनांक 6 जून, 1984 के प्रस्तर-2 के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम की अनुमन्य धनराशि की वसूली हेतु कटौती की प्रस्तावित मासिक किस्तों का उल्लेख करते हुये यह स्पष्ट किया जाय कि--

(i) मासिक किस्तों की धनराशि कर्मचारी की प्रतिदान हेतु क्षमता के अन्तर्गत है।

(ii) अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली उसके सेवानिवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित हो जायेगी।

(iii) कर्मचारी के वेतन से हो रही अन्य कटौतियों के साथ अग्रिम की वसूली हेतु निर्धारित की जाने वाली मासिक किस्तों की कटौती सम्भव होगी, और

(iv) समस्त कटौतियों के बाद मिलने वाले शुद्ध वेतन से उसे अपने जीवन यापन मेंसामान्यतया कोई कठिनाई न होगी।

2--उपरोक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि सम्बन्धित कर्मचारी को कितना अग्रिम अनुमन्य है और कितना स्वीकृत करना प्रस्तावित है और अग्रिम की वसूली हेतु कटौती की मासिक किस्तों की धनराशि कितनी निर्धारित की जा रही है।

भवदीय,
प्रेम प्रकाश बैरिया,
उप सचिव।

संख्या बी–3–426(1)/दस––85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:––

1––सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2––विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय।

3––राज्यपाल का सचिवालय।

4––निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश बैरिया,
उप सचिव।